पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771—2262802(अकादमिक), 0771—2262540 (कुलसचिव), फैक्स— 0771—2262818, 2262607

क्रमांक 3496 /अका./का.प/2024 रायपुर, दिनांक 05/06/2024

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '88वाँ' बैठक बुधवार दिनांक 12.06.2024 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.03.2024, 10.05.2024 एवं 27.05.2024 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।**

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

2. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.03.2024, 10.05.2024 एवं 27.05.2024 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :—

3. **श्री मोहम्मद अकील, कक्ष अधिकारी के दिनांक 30.04.2024 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि 16,83,254.00 (सोलह लाख तिरासी हजार दो सौ चौवन रू. मात्र) की स्वीकृति हेतु।**

   टीपः श्री मोहम्मद अकील, कक्ष अधिकारी, छात्र कल्याण विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) का दिनांक 30.04.2024 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप नियमानुसार 2 (i) सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि 16,83,254.00 (सोलह लाख तिरासी हजार दो सौ चौवन रू. मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

4. **श्री मोहम्मद अकील, कक्ष अधिकारी के अवकाश नगदीकरण का राशि 8,08,256/— (अक्षरी रूपये आठ लाख आठ हजार दो सौ छप्पन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति हेतु।**

   टीपः
   1. श्री मोहम्मद अकील, कक्ष अधिकारी, छात्र कल्याण विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का दिनांक 30.04.2024 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप पात्रतानुसार कुल 240 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया है। (आदेश की प्रति संलग्न)
   2. श्री मोहम्मद अकील, सेवानिवृत्त कक्ष अधिकारी को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रू. 8,08,256/— (अक्षरी रूपये आठ लाख आठ हजार दो सौ छप्पन मात्र) का भुगतान किया गया। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

5. **डॉ. संतू राम कश्यप, एसोसिएट प्रोफेसर, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान राशि 11,00,000.00 (ग्यारह लाख रू. मात्र) भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु।**

   टीपः डॉ. संतू राम कश्यप, एसोसिएट प्रोफेसर, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान फलस्वरूप प्राप्त आवेदन दिनांक 03.04.2024 द्वारा भू—खण्ड क्रय हेतु राशि रु. 11,00,000.00 (ग्यारह लाख रूपये मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने प्रस्तुत है।

6. **डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता, सेवानिवृत्त ग्रंथपाल, पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार के अवकाश नगदीकरण का राशि रु. 24,78,752.00 (रुपए चौबीस लाख अठहत्तर हजार सात सौ बावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः 1. विश्वविद्यालय आदेश आदेश क्रमांक 1131 / स्था. / सा.प्रशा. / 2024 रायपुर, दिनांक 15.04.2024 के द्वारा डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता, सेवानिवृत्त ग्रंथपाल, के दिनांक 30.09.2023 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप पात्रतानुसार कुल 240 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया है।

2. डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता, सेवानिवृत्त ग्रंथपाल को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि 24,78,752.00 (अक्षरी रुपये चौबीस लाख अठहत्तर हजार सात सौ बावन मात्र) का भुगतान किए जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

7. **विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 01.03.2024 से मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत की पुनरीक्षित दरें की स्वीकृति विषयक।**

टीप : 1. छ.ग. शासन के वित्त विभाग के वित्त निर्देश 6 / 2024, क्र. 140 / एफ 2013–04–00416 / वि / नि / चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15.03.2024 के परिपालन में मंहगाई भत्ता को दिनांक 01.03.2024 से सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़ा कर 46 प्रतिशत कर दिया गया है। (आदेश की प्रति संलग्न)।

2. छ.ग. शासन के वित्त विभाग के वित्त निर्देश 07 / 2024, क्र. 144 / एफ 2013–04–00416 / वित्त / नियम / चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15.03.2024 के परिपालन में मंहगाई राहत को दिनांक 01.03.2024 से मूल पेंशन / परिवार पेंशन में 221 प्रतिशत से बढ़ा कर 230 प्रतिशत कर दिया गया है। (आदेश की प्रति संलग्न)।

उक्त वित्त निर्देश अंगीकृत किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

8. **डॉ. बी.एल. सोनेकर को कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत् पदोन्नति के वेतन निर्धारण तथा डॉ. मनमोहन लाल सतनामी को पी.एच–डी. उपाधि वेतनवृद्धि निर्धारण के उपरांत वेतन अंतर के एरियर्स भुगतान किये जाने की स्वीकृति विषयक।**

टीप : 1. कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत् विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 330 / स्था. / सा. प्रशा. / 2023 रायपुर, दिनांक 24 / 01 / 2023 एवं क्रमांक 2823 / स्था. / सा.प्रशा. / 2017 दिनांक 27.07.2017 में आंशिक संशोधन तथा संचालक, छ.ग. राज्य संपरीक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के द्वारा अंतिम रूप से पारित होने के उपरांत डॉ. बी. एल. सोनेकर का वेतन निर्धारण संशोधित किया गया है। (आदेश की प्रति संलग्न है)। वेतन अंतर की राशि 67,219.00 (सड़सठ हजार दो सौ उन्नीस रूपये मात्र)।

2. विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 2543 / स्था. / सा.प्रशा. / 2023 रायपुर, दिनांक 05 / 06 / 2023 तथा छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक 1221 / एफ–2–10 / 2009 / 38–1 दिनांक 30.03.2010 के प्रावधानानुसार डॉ. मनमोहन लाल सतनामी को उनके नियुक्ति तिथि (17.10.2008) से पी–एच.डी. उपाधि हेतु पाँच अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत होने के उपरांत वेतनमान निर्धारण संशोधित किया गया है। (आदेश की प्रति संलग्न है)। वेतन अंतर की राशि रू. 5,80,130.00 (पाँच लाख अस्सी हजार एक सौ तीस रूपये मात्र)।

3. उक्त आदेश के परिपालन में संबंधित शिक्षकों को देय तिथि से कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत् पदोन्नति तथा पी–एच.डी. उपाधि हेतु पाँच अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत होने के फलस्वरूप वेतनमान निर्धारण के उपरांत वेतन अंतर की राशि का एरियर्स भुगतान किया जाना है।

4. विश्वविद्यालय के उक्त आदेश को अंगीकृत कर कुल एरियर्स की राशि आयकर एवं सी.पी.एफ. कटौती सहित कुल राशि रू. 6,47,349 / – (अक्षरी रूपये छः लाख सैंतालीस हजार तीन सौ उनचास मात्र) का भुगतान करने की स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

9. Thermal Desorption Gas Chromatograph Mass Spectrometry (TD-GC-MS/MS) उपकरण के रिपेयरिंग राशि 6,47,739/– (छः लाख सैंतालीस हजार सात सौ उनचालीस रूपये मात्र) भुगतान हेतु।

टीपः DST FIST मद से वर्ष 2016 में क्रय कर रसायन अध्ययनशाला में स्थापित किए गए Thermal Desorption Gas Chromatograph Mass Spectrometry (TD-GC-MS/MS) उपकरण में Non Functional Thermal Desorption Unit में सुधार कार्य हेतु, सक्षम स्वीकृति से उपकरण निर्माता फर्म M/S Thermo Fisher Scientific India Pvt Ltd, Mumbai द्वारा उपकरण के Non-Function Part Item को बदलने Functional Part Item सप्लाई पश्चात् स्कन्ध पंजी में पविष्टी उपरांत उपकरण में स्थापित कर संबंधित बिल की राशि रूपये 6,47,739/– (छः लाख सैंतालीस हजार सात सौ उनचालीस रूपये मात्र) का भुगतान किया जाना था। उपकरण के पूर्ण से Functional Condition में आने के पश्चात् संबंधित बिल की राशि रूपये 6,47,739/– (छः लाख सैंतालीस हजार सात सौ उनचालीस रूपये मात्र) का भुगतान विश्वविद्यालय के उपकरण रिपेयर मद से किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

10. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 46 महाविद्यालयों को सेमेस्टर परीक्षा मई–जून 2024 के संचालन हेतु अग्रिम राशि 17,30,000.00 रूपये (अक्षरी सत्रह लाख तीस हजार रूपये मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति एवं अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई भुगतान की सूचना ग्रहण कराना।

टीपः विश्वविद्यालय से सम्बद्धित 46 महाविद्यालयों को सेमेस्टर परीक्ष मई–जून 2024 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रू. 17,30,000.00 (अक्षरी सत्रह लाख तीस हजार रूपये मात्र) कार्यपरिषद् के स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 29/05/2024 को महाविद्यालयों को अग्रिम राशि भुगतान किया जा चुका है।

अतः माननीय कार्यपरिषद् के सक्षम स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

11. विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क, सर्वर/वेबसर्वर और एंटीवायरस सर्वर AMC कार्य में 01 वर्ष के लिये वृद्धि करने के संबंध में।

टीपः विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क, सर्वर/वेबसर्वर और एंटीवायरस सर्वर ।डब कार्य हेतु निविदा सूचना क. 59/Dev/2022 Raipur Dated 29/01/2022 जारी किया गया था। निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले फर्म M/s Sai Info Services, House No.-14, Phase-1, Shiva Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) को पत्र क. 327/विकास/2022 रायपुर, दिनांक 07/06/2022 के द्वारा दिनांक 13/03/2022 से 12/03/2023 तक 01 वर्ष के लिए कार्य हेतु आदेशित किया गया था।

फर्म को पत्र क्र. 479/विकास/2023 रायपुर, दिनांक 15/06/2023 के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दर में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए दिनांक 13/03/2023 से 12/03/2024 तक 01 वर्ष के लिए कार्य हेतु आदेशित किया गया था।

उक्त फर्म का कार्यकाल दिनांक 13/03/2024 को समाप्त हो चुका है। निविदा के शर्तों एवं अनुबंध के अनुसार कार्य संतोषजनक होने पर संबंधित फर्म के कार्य काल को एक–एक वर्ष करके अधिकतम 04 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, उल्लेख है।

अतः पूर्व में स्वीकृत दर पर संबंधित फर्म के कार्य काल को दिनांक 13/03/2024 से 12/03/2025 तक 01 वर्ष की वृद्धि करमे हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

12. लेखा कार्य कर रहे फर्म के कार्यकाल में वृद्धि के संबंध में।

टीपः Expression of Interest from Chartered Accountants Firm for Maintenance of Accounts, Compliance, Taxation and Consultancy Work of Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur हेतु सूचना क्र. 474/Dev/2022 Raipur Dated 11/10/2022 जारी किया गया था। निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले फर्म P.R.Sancheti & Company, Chartered Accountants, Shop No.48, 1st Floor, Jeevan Plaza, Ganjpara, Durg (C.G.) को पत्र क.667/विकास/2022 रायपुर, दिनांक 23/12/2022 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिनांक 01/04/2023 से 31/03/2024 तक) 01 वर्ष के लिए कार्य हेतु अनुबंध कर आदेशित किया गया था।

उक्त फर्म का कार्यकाल दिनांक 01/04/2024 को समाप्त हो चुका है। अनुबंध की शर्त में 8) Validity : This Agreement is valid only for 1 year i.e. for Financial Year 2023-24 from the date of execution of this Agreement. However the First Party reserves the right to extend the Agreement with mutual consent for a period acceptable to both. उल्लेख है।

अतः पूर्व में स्वीकृत दर पर संबंधित फर्म के कार्य काल को वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 01/04/2024 से 31/03/2025 तक) 01 वर्ष की वृद्धि करने हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

13. केन्द्रीय क्रय समिति के पुर्नगठन हेतु सदस्य मनोनीत किए जाने विषयक।

टीपः विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित विनियम क्रमांक 108 के भाग–4 के (ब) में केन्द्रीय क्रय समिति के गठन किये जाने हेतु प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार केन्द्रीय क्रय समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे।

1. कुलसचिव
2. कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत सदस्य
3. वरिष्ठ प्राध्यापक
4. वित्ताधिकारी या उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव वित्त
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव विकास एवं भण्डार
6. संबंधित विभागाध्यक्ष

विनियम 108 के प्रावधान के अनुसार केन्द्रीय क्रय समिति के लिए कार्यपरिषद् की ओर से 01 सदस्य एवं वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में 01 सदस्य मनोनीत किये जाने के लिये कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

<u>कम्प्यूटर केन्द्र गोपनीय से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

14. CLOUD Server में वेबसाईट होस्टिंग कार्य का एक वर्ष अनुबन्ध बढ़ाए जाने हेतु।

टीपः विश्वविद्यालय के वेबसाईट www.prsu.ac.in तथा subdomains को मेसर्स Cyfuture India Pvt. Ltd. Plot 197-198 Noida Special Economic Zone (NSEZ), Phase II, Noida - 201305 (U.P.) के द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यादेश क्रमांक 441/विकास/2022 रायपुर, दिनांक 22/09/2022 के अनुसार CLOUD Server में वेबसाईट होस्टिंग कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्यादेश की अवधि 22/09/2023 को समाप्त हो गयी है, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा जारी निविदा के पृष्ठ क्र. (13) बिन्दु क्र. 12 Contract duration में संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में अनुबन्ध बढ़ाई जा सकती है, अतः अनुबन्ध अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

15. विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं तृतीय/चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का वेतन निर्धारण संचालनालय, छ.ग. राज्य संपरीक्षा, नवा रायपुर से अंतिम रूप से पारित होने के उपरांत वसूली योग्य राशि का किश्तों में भुगतान करने के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीपः विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं तृतीय/चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का वेतन निर्धारण संचालनालय, छ.ग. राज्य संपरीक्षा, नवा रायपुर से अंतिम रूप से पारित होने के उपरांत वसूली योग्य राशि का किश्तों में भुगतान करने के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित किए जाने हेतु गठित तीन सदस्यीय समिति की अनुशंसा निम्नानुसार है –

"वसूली योग्य राशि का समायोजन अधिकतम पाँच वर्ष (60 किश्तों) में कर लिया जाए, तथापि यदि किसी शिक्षक/अधिकारी एवं कर्मचारी के मामले में वित्तीय भार अधिक हो तो उक्त मामले में माननीय कुलपति जी उपर्युक्त अवधि को शिथिल कर सकते हैं। वसूली योग्य राशि किसी भी स्थिति में अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व समायोजित कर किया जाए।"

तद्नुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

16. दिनांक 24.01.2022 को कक्ष अधिकारी से लेकर निम्न वर्ग लिपिक तक के पदों पर अस्थायी रूप से पदोन्त किए गए कर्मचारियों को उनके कार्यरत पदों पर स्थायी किए जाने के संबंध में।

टीपः दिनांक 24.01.2022 के तहत विभिन्न आदेशों के तहत कक्ष अधिकारी के पद पर 08, वरिष्ठ अधीक्षक के पद पर 03, कनिष्ठ अधीक्षणक के पद पर 06, उ.श्रे.लि. वर्ग–1 के पद पर 27, उ.श्रे.लि. वर्ग–2 के पद पर 35, नि.व.लि. के पद पर 19, दफ्तरी 04 एवं 01 हेड प्यून कुल 103 कर्मचारियों को अस्थायी रूप से पदोन्नति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 5(i) के अनुसार सीधी भर्ती से चयनित कर्मचारियों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् स्थायीकरण आदेश जारी किया जाता है। इसी क्रम में पूर्व के वर्षो से स्थापित परम्परा के अनुसार पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों का भी दो वर्ष के पश्चात् स्थायी आदेश जारी किया जाता रहा है।

तद्नुसार कुल 103 पदोन्नत कर्मचारियों को उनके पदों पर दिनांक 24.01.2024 से स्थायी किए जाने संबंधी प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

17. संत शदाराम साहिब सिंधी अध्ययन केंद्र के Advisory Board गठित करने की कार्योत्तर स्वीकृति एवं गठित समिति का सूचना ग्रहण करने पर विचार करना।

टीपः विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/1589/सा.प्रशा./सि.भा.अ.के./एफ–159/2024 रायपुर, दिनांक 28/05/2024 के तहत् संत शदाराम साहिब सिंधी अध्ययन केंद्र के Advisory Board का निम्नानुसार किया गया है :–

1.	प्रो. ए. के. श्रीवास्तव, कुलपति प्रतिनिधि	संयोजक
2.	श्री उदय शदाणी, शदाणी सेवा मण्डल, रायपुर	सदस्य
3.	श्री दर्शन निहाल, शदाणी सेवा मण्डल, रायपुर	सदस्य
4.	श्री ताराचंद मोहनानी, शदाणी सेवा मण्डल, रायपुर	सदस्य
5.	श्री सनत वर्मा, उपकुलसचिव (शैक्षणिक)	सदस्य सचिव

उक्त Advisory Board का कार्यकाल 03 वर्ष के लिए निर्धारित रहेगा।
कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

18. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

आदेशानुसार,

5/6/24

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 3497 /अका./का.प/2024 रायपुर, दिनांक 5/06/2024

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप–कुलसचिव (अका.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '88वाँ' बैठक बुधवार दिनांक 12.06.2024 को अपराह्न 3.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 11.06.2024 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।**
(पृष्ठ क्र. 01 से तक)

<u>टीपः</u> कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. **डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, सेवानिवृत्त कीडाधिकारी, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद के प्रकरण कमांक 32/2023 के संबंध में।**

<u>टीपः</u> डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, सेवानिवृत्त क्रीड़ा अधिकारी, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.) के द्वारा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) न्यायालय पेशनर्स लोक अदालत रायपुर छ.ग. में प्रकरण कमांक 32/2023 दिनांक 01.07.2023 दायर किया गया है।

विश्वविद्यालय की 81वीं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22.09.2023 में पूरक विषय सूची कमांक 8 में प्रकरण पर लिए गए निर्णयानुसार डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, से.नि. पूर्व संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर(छ.ग.) के ''उपस्थिति दिवसों के लंबित वेतन भुगतान'' संबंधी प्रकरण पर चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है ।

डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, से.नि. कीडा अधिकारी के प्रकरण पर वि.वि. की कार्यपरिषद द्वारा गठित समिति में एक सदस्य उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर(छ.ग.) से श्रीमति शारदा वर्मा, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर को नामित एक प्रतिनिधि रखा गया है तथा वित्त विभाग छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) के पत्र कमांक 209/1451/ब–3/चार/2023 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 17.10.2023 के द्वारा डॉ. मिश्रा के प्रकरण में वित्त विभाग से प्रतिनिधि सदस्य के रूप में श्री अखिलेश्वर सिंह तंवर, वित्त अधिकारी पं. रवि. वि.वि. रायपुर को नामांकित किया गया है।

गठित समिति की बैठक दिनांक 06.03.2024, दिनांक 20.03.2024, एवं दिनांक 22.03.2024, एवं दिनांक 04.04.2024, 26.04.2024 एवं समिति की अंतिम बैठक दिनांक 03.05.2024 को आयोजित की गई ।

चार सदस्यीय गठित समिति की अंतिम बैठक दिनांक 03.05.2024 के द्वारा प्रकरण पर समिति के सदस्यों द्वारा विचारोपरांत लिए गए निर्णय का प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को दिनांक 03. 05.2024 को बंद लिफाफा में प्राप्त हुआ है । (संलग्न –समिति से प्राप्त प्रतिवेदन बंद लिफाफे में)

अतः प्रकरण पर गठित समिति का बंद लिफाफा में प्राप्त प्रतिवेदन विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.06.2024 के समक्ष रखे जाने हेतु प्रस्तुत।

3. **W.P. (S) 3281/2022 निर्णय दिनांक 16.06.2022 तथा अवमानना प्रकरण क्र. 943/2022 श्रीमती विद्या शर्मा विरूद्ध पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं अन्य पर पारित निर्णय पर अपील याचिका दायर किए जाने के संबंध में विचार करना।**

टीपः— माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. W.P. (S) 3281/2022 पर दिनांक 16.06.2022 को आवेदिका श्रीमती विद्या शर्मा, से.नि. प्र.श्रे.लि. को 60 दिवस के भीतर 10 प्रतिशत शेष पेंशन राशि का भुगतान किए जाने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में आवेदिका को पत्र क्र. 2658/सा.प्रशा./2022 दिनांक 07.07.2022 के द्वारा उनके पेंशन संबंधी भुगतान की कार्यवाही से अवगत कराया गया कि शत–प्रतिशत पेंशन एवं ग्रेच्युटी राशि का भुगतान उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा किया जाना है एवं पेंशन प्रकरण को उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित किए जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से अवगत कराते हुए विश्वविद्यालय की ओर से संचालक छ.ग. राज्य संपरीक्षा कार्यालय को पत्र प्रेषित किया गया, साथ ही स्मरण पत्र क्र. 3454/सा.प्रशा./2022 दिनांक 16.09.2022 प्रेषित किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई। पेंशन निर्धारण उपरांत ही पूर्ण पेंशन राशि का भुगतान संचालनाय उच्च शिक्षा द्वारा की जाती है।

अतः अवमानना प्रकरण प्रकरण क्र. 943/2022 श्रीमती विद्या शर्मा विरूद्ध पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं अन्य पर डबल बेन्च में अपील दायर किया जाना प्रस्तावित है।

<u>वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :—

4. श्री हरीश कुमार पाण्डेय, वरि. अधीक्षक का अवकाश नगदीकरण भुगतान किए जाने की स्वीकृति पर विचार करना।

टीपः— **1.** विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 1411/सा.प्रशा./2024 रायपुर, दिनाँक 09.05.2024 के द्वारा श्री हरीश कुमार पाण्डेय, वरि. अधीक्षक का दिनाँक 30.06.2024 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप पात्रतानुसार कुल 240 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया है। (आदेश की प्रति संलग्न)

2. श्री हरीश कुमार पाण्डेय, वरि. अधीक्षक को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रू6,91,456/— (अक्षरी रूपये छः लाख इक्यानबे हजार चार सौ छप्पन) मात्र का भुगतान किया जाना है।

5. श्री प्रदीप मिश्रा, सेवानिवृत्त कक्ष अधिकारी का अवकाश नगदीकरण भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति एवं भुगतान की सूचना ग्रहण कराना।

टीपः— 1. विश्वविद्यालय आदेश क्र. 897/सा.प्रशा./2024 रायपुर, दिनाँक 14.03.2024 के द्वारा श्री प्रदीप मिश्रा, सेवानिवृत्त कक्ष अधिकारी के दिनाँक 31.05.2024 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप पात्रतानुसार कुल 240 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया है। (आदेश की प्रति संलग्न)

2. श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त कक्ष अधिकारी को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रू. 8,08,256/— (अक्षरी— रू. आठ लाख आठ हजार दो सौ छप्पन) मात्र का भुगतान किया गया।

6. कार्यपरिषद् की बैठक दिनाँक 18.02.2024 के पूरक विषय क्र. 02 में लिए गए निर्णय में टंकन त्रुटि के संशोधन हेतु अनुमति के संबंध में।

टीपः— **कार्यपरिषद् की बैठक दिनाँक 18.02.2024 के पूरक विषय क्र. 02 में लिए गए निर्णय के अनुसार** विश्वविद्यालय से संबंध 84 महाविद्यालयों को वार्षिक परीक्षा संचालन के लिए अग्रिम राशि रू. 15,89,500/— (अक्षरी रू. पंद्रह लाख नवासी हजार पाँच सौ मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। टंकन में एक शून्य कम होने के कारण 1,58,95,000/— (अक्षरी— एक करोड़ अन्ठावन लाख पन्चान्बे हजार) के स्थान पर 15,89,500/— (अक्षरी रू. पंद्रह लाख नवासी हजार पाँच सौ मात्र) अंकित हो गई। टंकन त्रुटि में सुधार करते हुए रू. 1,58,95,000/— (अक्षरी— एक करोड़

अन्ठावन लाख पन्चान्बे हजार) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अनुमति के लिए कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

<u>विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

7. विश्वविद्यालय में कैंटीन संचालन के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय में कैंटीन संचालन हेतु म्वप सूचना क्र. 678/Dev/2023 Raipur, Dated 26/09/2023 समाचार पत्र में छ.ग. संवाद के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। उक्त प्रकाशित निविदा के संबंध में निम्नलिखित फर्मो द्वारा निविदा प्रस्तुत किया गया था :–

1. Shri Sai Services, Shanti Nagar, Balco Nagar, Korba (C.G.)
2. Hotel The Golden Oak, M.G. Road, Raipur
3. Shree Sai Services, Raipur (C.G.)

विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा किये गये अनुशंसा के संदर्भ में विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20/12/2023 के पूरक विषय सूची क्र. 27 में हुए स्वीकृति अनुसार "कैन्टीन संचालन के लिए रख–रखाव शुल्क के रूप में अधिकतम धन राशि रू. 25,000=00 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) प्रस्तावित किये जाने के आधार पर M/s Hotel The Golden Oak, M.G.Road, Raipur (C.G.) को कैन्टीन संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

कैन्टीन संचालन करने के लिए अनुबंध कराने हेतु M/s Hotel The Golden Oak, M.G. Road, Raipur (C.G.) को पत्र क्र. 02/विकास/2024 रायपुर, दिनांक 03/01/2024 जारी किया गया था।

संबंधित फर्म को अनुबंध करने हेतु पुनः स्मरण पत्र क्र. 346/विकास/2024 रायपुर, दिनांक 24/05/2024 जारी किया गया था। उक्त पत्र में दिनांक 27/05/2024 तक अनुबंध कराने का निर्देश दिया गया था। संबंधित फर्म के प्रतिनिधि आज की तिथि तक अनुबंध करने हेतु उपस्थित नही हुए है।

अतः M/s Hotel The Golden Oak, M.G.Road, Raipur (C.G.) के नाम से कैन्टीन संचालन हेतु किये गये स्वीकृति को निरस्त किये जाने के लिए कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

8. विश्वविद्यालय वेबसाइट www.prsu.ac.in के रि–डिजाइनिंग तथा वार्षिक रखरखाव का कार्य कर रहे फर्म के अनुबंध में 03 माह वृद्धि करने हेतु विचार करना।

<u>टीपः–</u>विश्वविद्यालय वेबसाइट www.prsu.ac.in के रि–डिजाइनिंग तथा वार्षिक रखरखाव कार्य कर रहे फर्म M/s Entit Consultancy Services, 406 National Corporate Park, G.E. Road, Raipur (C.G.) से किये गया अनुबंध दिनांक 09/06/2024 को समाप्त हो रहा है। अतः वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उक्त फर्म से किये गये अनुबंध में 03 माह (दिनांक 10/06/2024 से 09/09/2024 तक) के लिए वृद्धि किये जाने हेतु कार्य परिषद के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

9. फोरेंसिक साईंस अध्ययनशाला के लिए सामग्री क्रय करने के संबंध में विचार करना।

टीपः— फोरेंसिक साईंस अध्ययनशाला के लिए 20 नग स्टूडेंट टेबल एवं चेयर, 01 नग स्मार्ट बोर्ड, 05 नग कम्प्यूटर, 06 नग यूपीएस, 05 नग कम्प्यूटर टेबल एवं चेयर एवं 01 नग ऑल इन वन प्रिंटर 03 नग ऑफिस टेबल एवं 10 नग चेयर क्रय किया जाना है।

1. CSIDC Rate Contract के अनुसार कम्प्यूटर, यूपीएस, प्रिंटर क्रय हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

s/n	Description of Item	Item Code	Qty	Rate	Amount
01	Entry Level (Basic) Desktop Computer Intel Core i5	700005212	05	Rs. 56,300.00	Rs. 2,81,500.00
02	UPS 1 KVA	700005128	06	Rs. 4,993.00	Rs. 29,958.00
03	Multifunction 3 in 1 Duplex Laser Printer (Black)	700003209	01	Rs. 19,500.00	Rs. 19,500.00
				Sub Total	Rs. 3,30,958.00
				Inspection Charge 0.60%	Rs. 1,985.74
				Total with inspection	Rs. 3,32,943.74
				GST@18%	Rs. 59,929.87
				Total	**Rs. 3,92,874.00**
Rupees – Three Lakh Ninety Two Thousand Eight Hundred Seventy Four Only.					

2. स्मार्ट बोर्ड क्रय हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

s/n	Description of Item	Item Code	Qty	Rate	Amount
01	Led Interactive Panel 86" Led Backlit display touch panel	700005410	01	Rs.2,35,000.00	Rs. 2,35,000.00
				Inspection Charge 0.60%	Rs. 1,410.00
				Total with inspection	Rs. 2,36,410.00
				GST@18%	Rs. 42,553.80
				Total	**Rs. 2,78,964.00**
Rupees – Two Lakh Seventy Eight Thousand Nine Hundred Sixty Four Only.					

3. फर्नीचर सामग्री क्रय हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

s/n	Description of Item	Item Code	Qty	Rate	Amount
01	Student Table (Senior Size)	700007407	20	Rs. 1,438.00	Rs. 28,760.00
02	Student Chair (Senior Size)	700007408	20	Rs. 1,319.00	Rs. 26,380.00
03	Office Table (Drawer and Cupboard Unit)	700007404	03	Rs. 5,095.00	Rs. 15,285.00
04	Office Chair	700007454	10	Rs. 2,378.00	Rs. 23,780.00
05	Computer Table (Compact)	700007511	05	Rs. 3,500.00	Rs. 17,500.00
06	Computer Chair (Mid Back)	700007506	05	Rs. 3,576.00	Rs. 17,880.00
				Sub Total	Rs. 1,29,585.00
				Inspection Charge 0.60%	Rs. 777.51
				Total with inspection	Rs. 1,30,362.51
				GST@18%	Rs. 23,465.25
				Total	**Rs. 1,53,828.00**
Rupees – One Lakh Fifty Three Thousand Eight Hundred Twenty Eight Only.					

उपरोक्त समस्त सामग्री क्रय करने पर **Rs. 8,25,666.00** (Rupees Eight Lakh Twenty Five Thousand Six Hundred Sixty Six Only) व्यय होगा। उक्त सामग्री CSIDC Rate Contract में अनुबंधित फर्मों से

1. कम्प्यूटर, यूपीएस एवं प्रिंटर सामग्री फर्म Sai Info Services, No.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) से
2. स्मार्ट बोर्ड सामग्री फर्म IT Applications, No. 53, Block 04, Akash Nagar, Avanti Vihar, Raipur (C.G.) से
3. फर्नीचर सामग्री फर्म Ankur Industries, Nahar Para, Station Road, Raipur (C.G.) से

ई-मानक पोर्टल के माध्यम से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः क्रय संबंधी कार्यवाही के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

10. **विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की बैठक मंगलवार दिनॉक 16/04/2024 का कार्यवृत्त क्र0 770/यांत्रिकी/2024 दिनांक 11.06.2024 के अनुमोदन पर विचार करना–**

टीपः क्र0–1– भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 12.06.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
क्र0–02:–रुसा योजना अन्तर्गत नवीनीकरण मद में शेष राशि से सड़क डामरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार करना।
क्र0–03:– PM-USHA योजना अन्तर्गत नवीन निर्माण एवं नवीनीकरण हेतु प्रस्तावों के अनुमोदन पर विचार करना।
क्र0–04:– गेस्ट हाऊस निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को अग्रिम भुगतान राषि रु. 187.055 लाख से पुरुश तथा कन्या छात्रावास निर्माण के संबंध में विचारार्थ।

परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

11. **विधि पाठ्यक्रम के उत्तीर्ण छात्र/छात्रओं के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की वास्तविकता/सत्यापन के संबंध में।**

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के पत्र क्र. BCI-LE/138/2020(Circular-003) दिनॉक 06.02.2024 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका क्र. 82/2023 अजय शंकर श्रीवास्तव विरूद्ध बार कौंसिल ऑफ इंडिया एवं अन्य दिनॉक 06.02.2024 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से विधिक अभिमत लिया गया है, जिसके अनुसार– **"माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्देश के परिपेक्ष्य, विश्वविद्यालय को बार कौंसिल इंडिया की ओर से प्रेषित् किये गये शैक्षिक प्रमाण पत्रों की वास्तविकता/सत्यापन के संबंध में शीघ्र एवं निःशुल्क जानकारी दिये जाने के निर्देश है। जिसका विश्वविद्यालय के स्तर पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर पूर्ण रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।"**

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

12. **विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के पारिश्रमिक निर्धारण के संबंध में विचार करना–**

टीपः– विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. 7932/अका./2019 रायपुर, दिनॉक 24.01.2019 द्वारा परीक्षा कार्य संबंधित विभिन्न प्रकार के पारिश्रमिक का उल्लेख किया गया है किन्तु प्रवेश परीक्षा हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण नहीं किया गया है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न प्रवेष परीक्षा हेतु पारिश्रमिक निर्धारण हेतु समिति द्वारा अनुशंसित दर निम्नानुसार है–

परीक्षा	माध्यम	अनुशंसित दर (प्रति प्रशन)
विश्वविद्यालयीन प्रवेश परीक्षा	अंग्रेजी एवं हिन्दी (दोनों भाषाओं में)	50/–
	केवल हिन्दी या अंग्रेजी (एक भाषा में)	40/–

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

13. **माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित नवीन अध्यादेश/संशोधित अध्यादेश की सूचना ग्रहण करना।**

टीपः— 1. **Revised Ordinance No. 45-** विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.12. 2023 को अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय के बिन्दु क्रमांक 01 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3–27/2020/38–2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में Revised Ordinance No. 45 माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. **New Ordinance No. 202** .– विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.12.2023 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 02 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3–6/2024/38–2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में नवीन Ordinance No. 202 "Certificate Course in Econometrics & Mathematical Economics " माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. **Revised Ordinance No.-184 "Integrated M.Sc. Program of CBS-** विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.02.2024 में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय बिन्दु क्रमांक 02 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3–11/2024/38–2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में Ordinance No.-184 "Integrated M.Sc. Program of CBS" में संशोधन को माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है।

4. **New Ordinance No. 207/208/209** - विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.02.2024 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 03 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3–14/2024/38–2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में नवीन Ordinance No. 207 "Integrated Teacher Education Programme (I.T.E.P.) (B.A.B.Ed. Course) तथा पत्र क्रमांक एफ 3–15/2024/38–2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में नवीन Ordinance No. 208 "Integrated Teacher Education Programme (I.T.E.P.) (B.Sc.B.Ed. Course)" एवं पत्र क्रमांक एफ 3–19/2024/38–2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में नवीन Ordinance No. 209 "Integrated Teacher Education Programme (I.T.E.P.) (B.Com.B.Ed. Course) माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है।

5. **Revised Ordinance No. 85-** विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.01.2024 की पूरक विषय सूची के निर्णय के बिन्दु क्रमांक 01 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3–32/2020/38–2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में **Revised Ordinance No. 85,** MASTER OF COMPUTER APPLICATION (TWO YEARS) माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है।

6. **New Ordinance No. 203/204/205/206 -** विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.12. 2023 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 03 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3–7/2024/38–2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में नवीन Ordinance No. 203 "Certificate Programme in Analytical Technique, Certificate Programme in Soil and Water Analysis,

Certificate Programme in Food Adulteration and Toxicology, Certificate Programme in Cement Chemistry तथा पत्र क्रमांक एफ 3–8/2024/38–2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में नवीन Ordinance No. 204 - "Certificate Programme in Immunological Techniques" Certificate Programme in Molecular Techniques" एवं पत्र क्रमांक एफ 3–9/2024/38–2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में नवीन Ordinance No. 205 - "Certificate Programme in Diagnostic Microbiology" "Certificate Programme in Advance Techniques in Microbiology." व पत्र क्रमांक एफ 3–10/2024/38–2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में नवीन Ordinance No. 206 - "Certificate Programme in Rainwater Harvesting" माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है।

14. **स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गन Toilets निर्माण के Survey कार्य हेतु कुल अनुदान राशि 27,93,890.00 (रुपए सत्ताईस लाख तीरानबे हजार आठ सौ नब्बे मात्र) से अंतिम किश्त की प्राप्त राशि रु. 13,96,945.00 (रुपए तेरह लाख छियानबे हजार नौ सौ पैंतालीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः– साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से प्राप्त संलग्न पत्र क्रमांक ECL/BSP/CSR/2023/23 dt. 08-12-2023 द्वारा डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव परियोजना अन्वेषक को स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में Toilets निर्माण के Survey कार्य हेतु कुल अनुदान राशि 27,93,890.00 (रुपए सत्ताईस लाख तीरानबे हजार आठ सौ नब्बे मात्र) स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत राशि के अंतिम किश्त के रूप में दिनांक 26.03.2024 को विश्वविद्यालय परियोजना खाता में प्राप्त अनुदान राशि रु. 13,96,945.00 (रुपए तेरह लाख छियानबे हजार नौ सौ पैंतालीस मात्र) को परियोजना अन्वेषक को अग्रिम भुगतान किया गया है। राशि रु. 13,96,945.00 (रुपए तेरह लाख छियानबे हजार नौ सो पैंतालीस मात्र) भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

15. **वार्षिक परीक्षा 2024 के गोपनीय मुद्रण भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत।**

टीपः– सत्र 2023–24 की वार्षिक परीक्षा (2024) के गोपनीय मुद्रण का देयक :–

(i) Non- Technical	**= 61,31,631.05**
(ii) Technical	**= 88,84,112.07**
कुल–	**= 1,50,15,743.12**
Round off Amount	**= 1,50,15,743.00**

(एक करोड़ पच्चास लाख पन्द्रह हजार सात सौ तैतालिस रूपये मात्र)

16. **DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project;SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत उपकरण लेज़र मशीन के भुगतान पर विचार करना।**

टीपः– माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145 दिनाँक 13.01.2023) के अंतर्गत शोध उपकरण **लेज़र मशीन के भुगतान** M/S Unique Laser Engravers, Mumbai को उनके दिए गए बैंक विवरण अनुसार कुल राशि (GST सहित) **रू. 21,53,500=00 (रू. इक्कीस लाख तिरपन हजार पाँच सौ मात्र और पैसे शुन्य)** देय भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

17. **DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project;SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत उपकरण "MP2.5 High volume air sampler के भुगतान पर विचार करना।**

टीपः— माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145; दिनाँक 13.01.2023) के अंतर्गत शोध उपकरण **"MP2.5 High volume air sampler का भुगतान** M/S MARS Bioanalytical Pvt. Ltd., New Delhi को उनके दिए गए बैंक विवरण अनुसार कुल राशि (GST सहित) **रू. 20,44,247=00 (रू. बीस लाख चाव्वालिस हजार दो सौ सैतालिस मात्र और पैसे शुन्य)** देयक भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

18. **संत शदाराम साहिब सिंधी अध्ययन केन्द्र हेतु गठित Monitaring Committee की बैठक मंगलवार दिनाँक 11.06.2024 की कार्यवृत्त माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

19. **W.P. (S) 5143/2012 डॉ. पुरूषोत्तम लाल चंद्राकर विरूद्ध पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष निम्नांकित निर्णय लिए जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत :—**

(i) माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश दिनांक 20.02.2024 का अक्षरशः पालन करते हुये नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में ।

(ii) माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के विरूद्ध रिट अपील युगल पीठ के समक्ष किये जाने हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

टीपः— प्रकरण क्र. W.P. (S) 5143/2012 डॉ. पुरूषोत्तम लाल चंद्राकर विरूद्ध पं.र.शु.वि.वि. रायपुर दिनांक पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2024 जो इस प्रकार है कि "The respondent authorities are directed to treat the appointment of the petitioner on the post of Associate Professor (Geography) in the University from the date when other candidates were appointed for the said post pursuant to the previous advertisement dated 12-08-2011 (Annexure P/1) and grant him all the consequential benefits according, except the monetary benefit". (Annexure 1)

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 20.02.24 के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पुर्नविलोकन याचिका क्र. REV No. 87 of 2024 दायर किया गया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीट के द्वारा बगैर तर्क का अवसर दिये, उनके आदेश दिनांक 20.02.2024 के पुर्नविलोकन का आधार नहीं पाने पर आदेश दिनांक 06.05.24 के द्वारा पुर्नविलोकन याचिका खारिज कर दिया गया। (Annexure 2)

इस संबंध में विश्वविद्यालय के उच्च न्यायालय पैनल अधिवक्ता श्री नीरज चौबे को विधिक अभिमत हेतु पत्र दिनांक 29.05.2024 एवं 06.06.2024 प्रेषित किया गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में श्री नीरज चौबे द्वारा दिया गया विधिक अभिमत दिनांक 07.06.2024 संलग्न है। (Annexure 3)

वर्तमान में सह—प्राध्यापक का पद विश्वविद्यालय में रिक्त है तथा विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 17.02.2017 के द्वारा इनकी सह—प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति की गई थी तथा माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के द्वारा श्री पुरूषोत्तम लाल चंद्राकर को किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ देने के निर्देश नहीं दिये गये है।

20. **आगामी वित्तीय वर्ष 2024—25 में निविदा दर अनुबंधित करने हेतु क्रमशः सिविल मरम्मत, सेनेटरी मरम्मत, विद्युत मरम्मत, जलप्रदाय मरम्मत कार्य के लिए 25—25 लाख की निविदा मंगाए जाने के लिए माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।**

टीपः– विगत वित्तीय वर्ष 2023–24 में क्रमशः सिविल मरम्मत, सेनेटरी मरम्मत, विद्युत मरम्मत, जलप्रदाय मरम्मत कार्य हेतु निविदा की गई थी। जिसकी निविदा अवधि दिनाँक 31.03.2024 को समाप्त हो गई।

21. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

12/6/24.

कुलसचिव